प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी)

माल और सेवाकर (जीएसटी) लागू करने के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति

आरएफपी संदर्भ सं.: ओआईसी/लेखा/जीएसटी/28.04.2017

दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,

ओरिएण्टल हाउस, ए-25/27, आसफ अली रोड,

नई दिल्ली - 110002

सीआईएन: यू66010डीएल1947जीओआई007158

दूरभाष सं.: 011-43659239

वेबसाईट- www.orientalinsurance.org.in

आरएफपी का मूल्य : प्रत्येक आवेदन के लिए रू.2000/- (लागू करों को मिलाकर)

विषयसूची	
1	बोली विवरण
2	अस्वीकरण
3	अवलोकन
4	उद्देश्य
5	परिभाषाएं
6	आमंत्रण
7	हित का विवाद
8	पात्र मानदण्ड तथा अन्य विवरण
9	स्पष्टीकरण तथा आरएफपी दस्तवेजों में संशोधन +
10	जमा बयाना राशि (ईएमडी)
11	कार्य क्षेत्र/संदर्भ की शर्तें
12	सामान्य परिस्थितियां
13	प्रस्ताव मूल्यांकन
14	निर्णय की अधिसूचना, अनुबंध को अंतिम रूप देना तथा अन्य शर्तें
15	गोपनीयता अनुबंध/वचनबद्धता
16	क्षतिपूर्ति
17	अनुबंध की समाप्ति
18	विविध नियम एवं शर्तें

माल और सेवा कर लागू करने के लिए परामर्शदाता के कार्य की नियुक्ति

1. बोली विवरण

आरएफपी संदर्भ	**ओआईसी/लेखा/जीएसटी/28.04.2017**
विभाग का नाम	**लेखा**
बोली प्रक्रिया के प्रारंभ होने की तारीख तथा समय जैसे वेबसाईट पर निविदा दस्तावेज को डाला जाना	**28.04.2017 4.00 सांय**
बोलीदाताओं से ई-मेल के माध्यम से प्राप्त होने वाले सवालों पर स्पष्टीकरण देने की अंतिम तारीख व समय	**02.05.2017 4.00 सांय**
ई-मेल के माध्यम से प्रश्नों के स्पष्टीकरण जारी करने हेतु अंतिम तारीख व समय	**06.05.2017 5.00 सांय**
तकीनकी व वित्तीय बोली सहित बोली दस्तावेजों को जमा करवाने की अंतिम तारीख व समय	**10.05.2017 4.00 सांयकाल**
बोली प्रस्तुत करने का पता	**उप महाप्रबंधक,** **लेखा विभाग - द्वितीय तल** **दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** **ओरिएण्टल हाऊस, ए-25/27, आसफ अली रोड़,** **नई दिल्ली - 110002**
तकनीकी बोली के खोलने की तारीख व समय	**10.05.2017 5.00 सांयकाल**
तकनीकी व वित्तीय बोली खोलने का स्थान	**उप महाप्रबंधक,** **लेखा विभाग - द्वितीय तल** **दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** **ओरिएण्टल हाऊस, ए-25/27, आसफ अली रोड़,** **नई दिल्ली - 110002** **दूरभाष- 011-43659239**

	बोलीदाता के प्रतिनिधि तकनीकी बोली के खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं जबकि तकनीकी बोली बोलीदाता के किसी या सभी प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में भी खोली जा सकती है। इस संबंध में अलग से कोई पत्र-व्यवहार नहीं होगा ।
उद्देश्य	**माल और सेवा कर अधिनियम (जीएसटी) के कार्यान्वयन के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति के प्रस्ताव के लिए अनुरोध**
अग्रिम जमा राशि	**तकनीकी बोली के साथ रू. 50,000/- (रूपये पचास हजार केवल) का डिमांड ड्राफ्ट जो कि "दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड़" दिल्ली पर देय हो संलग्न होना चाहिए ।**
योग्य तकनीकी बोलीदाता तथा वाणिज्यिक बोली खोलने की घोषणा	**12.05.2017 5.00 सायंकाल**
ईमेल आईडी-	ajaygupta@orientalinsurance.co.in kgnandakumaran@ orientalinsurance.co.in
वेबसाईट लिंक	**www.orientalinsurance.org.in**

नोट :-

1. बोली हस्तांतरणीय नहीं है।
2. उपरोक्त दिनांक अस्थायी हैं तथा बिना पूर्व नोटिस या सूचना के परिवर्तन के अधीन हैं। उपरोक्त दिनांक तथा आरएफपी में अन्यथ किसी भी प्रकार के परिवर्तन/परिशिष्ट के लिए बोलीदाता वेबसाईट www.orientalinsurance.org.in को देखना चाहिए ।
3. यदि उपरोक्त उल्लिखित तारीख में किसी भी अवकाश की घोषणा की जाती है, तो बोलियां अगले कार्य दिवस पर उसी समय तथा उसी निर्दिष्ट स्थान में प्राप्त/खुलेंगी जब तक कि अन्यथा सूचित नहीं किया जाता।

2. अस्वीकरण

प्रस्ताव दस्तावेज हेतु आवेदन (आरएफपी दस्तावेज/बोली दस्तावेज) में निहित सूचना या बाद में बोलीकर्ताओं या आवेदकों को मौखिक या ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से या एवज में दस्तावेजी फार्म में दी गई जानकारी बोलीकर्ता(ओं) को इस आरएफपी दस्तावेज में निर्धारित नियमों एवं शर्तों तथा अन्य सभी नियमों एवं शर्तों, जिनके तहत यह जानकारी दी गई है, के तहत दी गई है।

यह आरएफपी दस्तावेज उन आवेदकों, जो बोली को जमा करने के पात्र हैं, के अलावा किसी पक्ष(पक्षों) को ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का न तो प्रस्ताव है और न ही आमंत्रण या अनुबंध। इस आरएफपी दस्तावेज का उद्देश्य है बोलीकर्ताओं को उनके प्रस्ताव तैयार करने में सहायता प्रदान करने के संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाना। यह आरएफपी दस्तावेज प्रत्येक बोलीकर्ता द्वारा अपेक्षित सभी जानकारी शामिल होने का दावा नहीं करता। प्रत्येक बोलीकर्ता अपना स्वतंत्र रूप से निरीक्षण एवं विशलेषण आयोजित करेगा तथा इस आरएफपी दस्तावेज में जानकारी की सत्यता, विश्वसनीयता एवं पूर्णता की जांच करने तथा यदि आवश्यक हो तो स्वतंत्र रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए वह स्वतंत्र है।

इस आरएफपी दस्तावेज की सत्यता, विश्वसनीयता या संपूर्णता के संबंध में ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा इस के कर्मचारी कोई भी आवेदन या वारंटी नहीं देंगे तथा किसी विधि, नियम, विनियम या कानून के अंतर्गत कोई भी देयता नहीं होगी। इस आरएफपी दस्तावेज में निहित कोई भी सूचना विशिष्ट है तथा आरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पास पूर्ण अधिकार है कि बिना किसी बाध्यता के इस आरएफपी दस्तावेज को अद्यतन संशोधित कर सकती है या इसकी किसी सूचना में सुधार या वृद्धि कर सकती है।

ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड लापरवाही या अन्यथा किसी भी प्रकृति की देयता स्वीकार नहीं करती चाहे वह इस आरएफपी में निहित विवरणियों के कारण किसी बोलीकर्ता की विश्वसनीयता से उत्पन्न क्यों न हो।

आरएफपी जारी करने का यह तात्पर्य नहीं है कि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड किसी बोलीकर्ता का चयन करने या चुने गए बोलीकर्ता को नियुक्त करने, जैसा भी विषय हो, के लिए बाध्य है तथा कंपनी के पास पूर्ण अधिकार है कि बिना कोई कारण बताए तथा इस कारण से किसी बोलीकर्ता को होने वाली हानि के प्रति देय हुए बिना किसी भी बोली या बोलियों को अस्वीकृत कर सकती है।

बोली संबंधी प्रक्रिया से प्रत्यक्षत: या परोक्ष रूप से संबद्ध ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का निर्णय अंतिम, अकारण तथा सभी पक्षों/बोलीकर्ताओं पर बाध्य होगा।

बोली को तैयार करने तथा जमा करवाने के संबंध में तैयारी, कॉपी करने, पोस्टेज, सुपुर्दगी फीस, कंपनी द्वारा मांगी गई प्रस्तुतियों या प्रमाण देने के संबंध मं व्यय या बोली से संबद्ध अन्य कोई लागत, तथा केवल यही नहीं, सहित सभी खर्चे बोलीकर्ता द्वारा वहन किए जाएंगे। ये सभी खर्चे एवं लागत बोलीकर्ता

के ही होंगे तथा बोली संबंधी प्रक्रिया के परिणाम या आयोजन, बोली को तैयार करने या जमा करवाने संबंधी किसी भी प्रकार की लागत या खर्चों के संबंध में कंपनी की कोई देयता नहीं होगी।

3. अवलोकन

ओरिएण्टयल इंश्योइरेंस कंपनी लिमिटेड भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा की अग्रणी कंपनियों में से एक है जिसके 28 क्षेत्रीय कार्यालय, 3 कारपोरेट बिजनेस यूनिट, 353 मंडल कार्यालयों तथा 4 देशों में विदेशी बिजनेस यूनिटों सहित 1950 कार्यालय हैं। कंपनी की पूर्ण निजी स्वामित्वम की 1 सहायक तथा 2 एसोसिएट्स कंपनियां हैं। कंपनी निगमित एवं फुटकर दोनों ग्राहकों को साधारण बीमा से संबद्ध उत्पादों की विविध श्रेणियां प्रदान करती है। कंपनी अपने ग्राहकों को ऑनलाईन पोर्टल, वेब एग्रीग्रेटर जैसे अन्य वैकल्पिक माध्यिमों से भी सेवाएं प्रदान करती है।

वित्त अधिनियम में 101वीं संशोधन के द्वारा भारत सरकार ने माल एवं सेवा कर के कार्यान्वपयन हेतु रोड मैप दिया है। वित्त राज्य मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति ने 31.03.2017 तक हुई अपने बैठकों में सीजीएसटी अधिनियम, एसजीएसटी अधिनियम, यूटीजीएसटी अधिनियम तथा आईजीएसटी अधिनियम के प्रारूप को स्वीकृति दे दी थी।

साधारण बीमा का सेवा प्रदाता होने के कारण ओरिएण्टसल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को जीएसटी के अंतर्गत संबद्ध टैक्स लेना है तथा अधिनियम के कानूनी प्रावधानों का अनुपालन करना अनिवार्य है। इस संबंध में ओरिएण्टबल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जीएसटी के कार्यान्वयन हेतु प्रमाणित ट्रेक रिकार्ड वाले परामर्शदाताओं से प्रस्ताव हेतु आवेदन (आरएफपी) आमंत्रित करती है।

4. उद्देश्य:-

कंपनी का सेवा कर प्रशासन प्रधान कार्यालय में केन्द्रीयकृत है। कंपनी उल्लेख के नियम (टीओआर) में वर्णित किए गए अनुसार जीएसटी प्रशासन में कंपनी के सुचारू रूप से परिवर्तन हेतु कार्यान्वयन एवं प्रशासन में मदद करने के लिए प्रमाणित ट्रेक रिकार्ड वाले परामर्शदाताओं से प्रस्ताव हेतु आवेदन आमंत्रित करती है। (कृपया पृष्ठक सं.14-15 देखें)

5. परिभाषाएं:-

1. कंपनी/ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से तात्पर्य है साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972 के अंतर्गत गठित 'दि ओरिएण्टरल इंश्यौरेंस कंपनी लिमिटेड'।

2. कंपनी के यूनिटों में प्रधान कार्यालय के सभी विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, मंडल कार्यालय, शाखा कार्यालय, माईक्रो कार्यालय, सहायक कंपनियां, ऐसोसिएट तथा ज्वाइंयट वेंचर शामिल होंगे। 31.03.2017 को सहायक, ऐसोसिएट कंपनियों के नाम निम्नानुसार हैं:-

क. सहायक कंपनी -

1) आईसीसी लिमिटेड

ख. ऐसोसिएट्स

1) हेल्थ इंश्य रेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड़
2) इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर

3. **बोलीकर्ता/आवेदक/परामर्शदाता"** से तात्पर्य व्यक्तियों की संस्था या फर्म या इकाई से है जो इस आरएफपी दस्ताबवेज के उत्तर में कंपनी को सेवाएं प्रदान करने हेतु अपना प्रस्ताव जमा करवा रहे हैं।

4. **"पार्टनर"** से तात्पतर्य उस व्यवसायी से है जो भागीदारी अधिनियम 1932 तथा/या लिमिटेड़ देयता भागीदारी अधिनियम 2008 में परिभाषित किए गए अनुसार चार्टर्ड अकाऊंटेंट फर्म/कानूनी फर्म/एलएलपी में लाभ अर्जित कर रहा हो।

5. **"कार्मिक/व्यवसायी"** से तात्पंर्य है- दि चार्टर्ड अकाऊंटेंट अधिनियम 1949 के अनुसार चार्टर्ड अकाऊटेंट के न्यूमनतम योग्यता वाला पूर्णकालिक कर्मचारी, मान्यता प्राप्त विश्वयविद्यालय से विधि में स्नातक डिग्री की कानूनी योग्यता वाला कार्मिक जो बोलीकर्ता के वेतन-चिट्टे पर हो।

6. **"प्रस्ताव/बोली"** से तात्पर्य है - तकनीकी प्रस्ताव तथा व्ययवसायिक/वित्तीय प्रस्ताव।

7. **"आरएफपी"** से तात्पर्य जीएसटी के कार्यान्वयन हेतु परामर्शदाता के चयन के लिए ओरिएण्टल इंश्यौरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया "प्रस्ताव हेतु आवेदन"

8. **कार्य/नियोजन** से तात्पर्य है - संविदा के अनुसार परामर्शदाता द्वारा निष्पादित किया गया कार्य।.

9. **"निर्देश के नियम/प्रदेय"** से तात्पर्य है - संविदा के नियमानुसार परामर्शदाता द्वारा निष्पादित की जाने वाली गतिविधियां, कार्य क्षेत्र आदि।

10. **"संविदा"** से तात्पर्य है - सफल बोलीकर्ता तथा ओरिएण्टंल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा हस्ताक्षरित संविदा तथा अन्यस सभी संबद्ध दस्तावेज एवं परिशिष्ट।

11. **"जीएसटी"** से तात्पर्य है - सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी ये चारों अधिनियम तथा जीएसटी के संबंध में अन्य कोई सरकारी विनियम।

12. **"दिन"** से तात्पर्य है - कैलेंडर दिवस।

6. बोली का आमंत्रण:-

1) प्रस्ताव

1.1. पॉलिसियों, प्रक्रियाओं, गतिविधियों तथा जीएसटी के कार्यान्वयन एवं विकास हेतु गैप रिपोर्ट के द्वारा कंपनी को अवगत कराने तथा विश्लेषण करने हेतु यथोचित परामर्शदाता नियुक्त करने की ओ.इ.कं.लि की योजना है।

1.2. ओरिएण्टल इंश्योकरें कंपनी लिमिटेड सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी अधिनियम तथा उसमें बनाए गए नियमानुसार जीएसटी को कार्यान्व्यन करते हुए परामर्शी के नियेजन हेतु पात्र प्राईवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों, लिमिटेड देयता भागीदारी (एलएलपी) तथा पार्टनरशिप फर्मों से दो अलग सीलबंद लिफाफों (एक तकनीकी बोली हेतु तथा दूसरी व्यरवसायिक बोली) में सीलबंद बोलियां (तकनीकी बोली तथा व्यटवसायिक बोली) आमंत्रित करती है।

1.3. बोली खोलते समय उपस्थित रहने हेतु बोलीकर्ता अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त कर सकते हैं। प्रतिनिधि को परिशिष्ट-एच के अनुसार निर्धारित फार्मेट में एक प्राधिकरण पत्र देना होगा जिसमें बोलीकर्ता की ओर से उसे बोली खोलते समय प्रक्रिया में उपस्थित होने तथा बोलीकर्ता की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए उसे प्राधिकृत किया गया हो तथा उस पर विधिवत रूप से बोलीकर्ता के हस्ताक्षर हो। तकनीकी मूल्यांकन के अंतर्गत योग्य बोलीकर्ताओं के नाम की घोषणा समिति द्वारा मूल्यांधन प्रक्रिया के बाद ही की जाएगी।

7. हित का विवाद:-

कंपनी की अपेक्षा है कि परामर्शदाता व्यावसायिक, वस्तुनिष्ठ तथा निष्पक्ष सलाह दें तथा हर समय कंपनी के हितों को ही प्राथमिकता दे अन्य नियोजनों/कार्यों या अपने निजी निगमित हितों संबंधी विवादों से बचें तथा भविष्य में नियोजन (नियोजनों) हेतु कंपनी से किसी इनाम की अपेक्षा किए बिना अपना कार्य करें। उपरोक्त की सामान्यता पर यदि प्रतिबंधन लगाया जाए तो परामर्शदाता या उनके किसी प्रतिनिधि द्वारा निम्नांकित हितों हेतु विवाद हो सकता है तथा (किसी भी परिस्थिति में उन्हें नियुक्त नहीं किया जाएगा):

i. विवादपूर्ण नियोजन/कार्य : परामर्शदाता (इसमें इसका कार्मिक भी शामिल है) या उसका कोई सहयोगी ऐसी कोई भी कार्य/नियोजन नहीं करेंगे जिससे जीएसटी परामर्शदाता के वर्तमान नियोजन के साथ कोई विवाद उत्पन्न हो।

ii. विवादपूर्ण संबंध : कारोबार करने वाला कोई भी परामर्शदाता (इसमें इसका कार्मिक भी शामिल है) या ओरिएण्टंल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्टॉफ का कोई सदस्य, जो (i) नियोजन/कार्य के नियमों को तैयार करने, (ii) ऐसे नियोजन/कार्य की चयन प्रक्रिया या (iii) संविदा के निरीक्षण में प्रत्यक्षत: या परोक्ष रूप से शामिल है, के साथ पारिवारिक संबंध रखने वाले को संविदा तब तक प्रदान नहीं की जाएगी, जब तक ऐसे

संबंध से उत्पन्न, विवाद को चयन प्रक्रिया के दौरान सुलझाकर ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड़ द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता तथा संविदा को निष्पादित नहीं किया जाता।

आवेदक किसी की भी ऐसी वास्तविक स्थिति या विवाद को प्रकट करने के लिए बाध्य होगा जिससे कंपनी के हितों की रक्षा करने की इसकी क्षमता पर प्रभाव पड़े या यदि आवेदक हित संबंधी ऐसे विवादों को प्रकट करने में असमर्थ रहता है और ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को किसी भी समय इसकी जानकारी मिल जाती है तो ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पास पूरा अधिकार है कि बोली की प्रक्रिया के दौरान आवेदक को अयोग्य घोषित कर सकती है या नियोजन की अवधि के दौरान उसकी संविदा को रद्द कर सकती है।

8. बोलीकर्ताओं की पात्रता संबंधी मापदण्ड :-

आवेदकों को पात्रता संबंधी निम्न मापदण्डों को अवश्य पूरा करना होगा। इन शर्तों को पूरा करने वाले आवेदकों को ही मूल्यांकन प्रक्रिया हेतु स्वीकार किया जाएगा। पात्रता मापदण्डों को पूरा न करने वाले आवेदनों को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार कर दिया जाएगा:

8.1

क्र.सं.	पात्रता मापदण्ड	संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज
1.	आवेदनकर्ता फर्म/बोलीकर्ता या तो मान्यता प्राप्त सीए/ICWA हो या विधि फर्म हो।	संस्थापन/पंजीकरण प्रमाणपत्र तथा भागीदारी विलेख/एमओए/एओए जैसा भी विषय हो, की प्रति।
2.	बोलीकर्ता फर्म के पास भारतीय अप्रत्यक्ष कर (सेवा कर) में कम-से-कम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। साधारण बीमा कंपनियों के साथ सेवा कर संबंधी मामलों को निगमित स्तर पर देखने वाले फर्मों को वरीयता दी जाएगी।	भारत में या भारत से बाहर कारोबार का लेखा परीक्षण या परामर्श संबंधी जानकारी से संबद्ध अर्थात् नियोजन/आदेश पत्र, ग्राहक संदर्भ इत्यादि। कृपया कम-से-कम 5 ग्राहकों के पते और फोन नंबर के साथ सूची दें।
3.	बोलीकर्ता के पास 31.3.2017 को कम-से-कम 06 भागीदार होने चाहिए तथा 10 पूर्ण कालिक व्यावसायिक रूप से योग्य स्टॉफ, सीए, विधि स्नातक चाहिए। 31.3.2017 को सभी पार्टनर एवं योग्य स्टॉफ को कम-से-कम 1 साल तक फर्म में काम किया होना चाहिए।	व्यवसायिकों की सूची और उनके जीवन-वृत्त के साथ उसकी व्यावसायिक योग्यता के प्रमाणपत्र प्रस्तावित काम हेतु निर्मित की जाने वाली टीम के व्यक्तियों का विवरण परिशिष्ट सी में निर्धारित फार्मेट में दिया जाए।

4.	फर्म को भारत सरकार/राज्य सरकार/आईसीएआई/कर एसोसिएशन द्वारा किसी भ्रष्टाचार और धोखापूर्ण गतिविधियों हेतु अयोग्य घोषित/ बंद घोषित न किया गया हो तथा किसी भी आवेदक फर्म या आईसीएआई के किसी भागीदार या अन्य प्राधिकरण के पास कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही लंबित न पड़ी हो।	स्वंय घोषित
5.	फर्म की पिछले 3 वर्षो की औसतन टर्नओवर कम-से-कम 06 करोड़ रूपए होनी चाहिए।	फर्म की पिछले तीन वर्षों (13-14, 14-15 एवं 15-16) की लेखा परीक्षित वित्तीय खातों तथा आयकर रिटर्न की प्रति।
6.	आवेदक फर्म का FUNCTIONAL कार्यालय दिल्ली NCR में होना चाहिए. HEADED BY SR. PARTNER.	कार्यालयों की सूची सहित स्वयं घोषणा पत्र।
7.	किसी भी संगठन जैसे कि बैंक, बीमा कंपनियों की ओर से/को जीएसटी में परामर्श/वकालत। (वांछित योग्यता)	ग्राहकों की सूची

वांछित योग्यता : डीआईएसए/सीआईएसए स्टॉफ होना चाहिए . .

बोलीकर्ता का विवरण तथा पात्रता से संबद्ध विस्तृत जानकारी परिशिष्ट सी में दी जाए।.

8.2.1 चयन संबंधी मापदंड़

दो प्रकार की बोली प्रक्रियाएं होंगी अर्थात् बोलीकर्ता द्वारा तकनीकी बोली तथा व्यावसायिक बोली भरी जाएगी। बोलीकर्ताओं की सूची को कम करने हेतु कंपनी द्वारा बनाई गई समिति साधारण शर्तों की मद सं.13 में व्यक्त मूल्याकंन प्रक्रिया के आधार पर बोलियों की जांच एवं मूल्याकंन करेगी तथा फर्मों की संक्षिप्त सूची बनाकर नियुक्ति, नियम एवं शर्तों, देय शुल्क इत्यादि की रूवीकृति हेतु कंपनी के (कार्यकारी) का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा। चुनी गई परामर्शदात्री फर्म समिति को एक प्रस्तुति देगी।

8.3 बोली की वैद्यता अवधि

प्रस्ताव बोली जमा करवाने की अंतिम तिथि अर्थात् 10.05.2017 से 90 दिनों तक वैद्य रहेगा। अल्पावधि हेतु वैद्य बोली को गैर-उत्तरदायी मानते हुए अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इस संबंध में ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का कोई भी निर्णय अंतिम, निर्णयात्मक तथा बोलीकर्ता पर बाध्य होगा।

8.4 प्रस्ताव हेतु आवेदन (आरएफपी)

कोई भी इच्छुक पात्र बोलीकर्ता 'दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड' के पक्ष में, नई दिल्ली में देय किसी भी अधिसूचित व्यावसायिक बैंक द्वारा जारी रू.2000/- (केवल दो हजार रूपए) का डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप गैर-वापसी योग्य शुल्क का भुगतान करके आरएफपी दस्तावेज निम्न पते पर स्थित लेखा विभाग से प्राप्त कर सकता है:

दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
ओरिएण्टल हाउस, ए-25/27, आसफ अली रोड,
नई दिल्ली - 110002

इसके अलावा, आरएफपी दस्ता–वेज को कंपनी की वेबसाईट http://www.orientalinsurance.org.in से डाऊनलोड भी किया जा सकता है। ऐसे मामले में, परामर्शदाता को तकनीकी बोली के साथ किसी भी अधिसूचित व्यिवसायिक बैंक द्वारा 'दि ओरिएण्टाल इंश्यौरेंस कंपनी लिमिटेड' के पक्ष में जारी, नई दिल्ली में देय, डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में रू.2000/- (केवल दो हाजर रूपए) की गैर-वापसी योग्यु शुल्कए जमा करवाना होगा।
अपेक्षित राशि के पे आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट के बिना वाली बोलियों को बाहर से ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।

8.5 बोलियां जमा करवाना

तकनीकी और व्यावसायिक बोली वा एक मास्टर कवर 'आरएफपी – माल एवं सेवा कर अधिनियम (जीएसटी) के कार्यान्वयन हेतु परामर्शदाता की नियुक्ति' नाम से ऊपर अंकित शीर्षक वाला तथा उप महाप्रबंधक –लेखा को प्रेषित प्रस्ताव निम्न पते पर 10.05.2017 तक या पूर्व जमा करवा दिया जाए।

उप महाप्रबंधक
दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड़
लेखा विभाग, दूसरा तल,
ओरिएण्टल हाउस, ए-25/27, आसफ अली रोड,
नई दिल्ली – 110002

मास्टर कवर में दो अलग-अलग सीलबंद लिफाफे होने चाहिए। एक पर शीर्षक हो – 'आरएफपी – माल एवं सेवा कर अधिनियम (जीएसटी) को कार्यान्वयन हेतु परामर्शदाता की नियुक्ति' - तकनीकी बोली – निविदा संदर्भ सं.ओ.ई.कं.लि./एसी/जीएसटी/28.04.2017,

व दूसरे सीलबंद लिफाफे पर शीर्षक हो – 'आरएफपी – माल एवं सेवा कर अधिनियम (जीएसटी) को कार्यान्वयन हेतु परामर्शदाता की नियुक्ति' - व्यावसायिक बोली – निविदा संदर्भ सं.ओ.ई.कं.लि./एसी/जीएसटी/28.04.2017

8.6 **कंपनी किसी भी परिस्थिति में बोली जमा करवाने की तिथि को बढ़ाने हेतु किसी भी आवेदन पर विचार नहीं करेगी। 10.05.2017 को सायं 4 बजे के बाद प्राप्त किसी भी बोली पर विचार नहीं किया जाएगा। कृपया नोट करें कि यदि सीलबंद कवर के अंदर तकनीकी एवं व्यावसायिक बोली/प्रस्ताव दोनों एक ही सीलबंद कवर में पाई जाती है तो उस प्रस्ताव को उसी समय अस्वीकृत कर दिया जाएगा।**

8.7 **कोई भी बोलीकर्ता/आवेदक/परामर्शदाता परामर्शी हेतु एक से अधिक आवेदन नहीं दे सकता।**

8.8 **प्रस्ताव तथा बोलीकर्ता तथा कंपनी द्वारा इस संबंध में किया गया पत्र-व्यवहार अंग्रेजी में ही होगा।**

9. स्पष्टीकरण एवं संशोधन

बोलीकर्ता स्प्ष्टीकरण यदि कोई होती, हेतु आवेदन 02.05.2017 या उससे पूर्व कर सकते हैं। स्पष्टीकरण हेतु आवेदन इस दस्ताबवेज में व्यक्त निहित पते पर लिखित रूप में पेपर मेल द्वारा या इलैक्ट्रानिक मेल द्वारा कर सकता है।

प्रस्ताव जमा करने से पूर्व किसी भी समय, ओरिएण्ट ल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अपनी इच्छानुसार आरएफपी को संशोधित कर सकती है तथा प्रस्तावों को जमा करवाने की अंतिम तिथि को बढ़ा सकती है। ऐसे किसी भी संशोधन को कंपनी की वेबसाईट http://www.orientalinsurance.org.in पर अधिसूचित किया जाएगा तथा यह सभी बोलीकर्ताओं के लिए बाध्य होगा। यह नोट किया जाए कि ऐसे किसी संशोधन की सूचना अलग से किसी बोलीकर्ता को नहीं दी जाएगी। अत: इच्छुक आवेदकों को निर्देश किया जाता है कि बोली जमा करवाने की तिथि से पूर्व आरएफपी में किए गए, यदि कोई हो तो, परिवर्तन के बारे में स्वयं को अद्यतन रखने हेतु निरंतर रूप से वेबसाईट देखते रहें।

10. जमा बयाना राशि (ईएमडी)

बोलीकर्ताओं को रू.50,000/- (केवल पचास हजार रूपए) की प्रतिदेय बयाना राशि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करवानी होगी जा कि 'दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड' के पक्ष में दिल्ली में देय होगा तथा तकनीकी बोली का मुख्य भाग होगा। इस जमा बयाना राशि पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।

ईएमडी को तकनीकी प्रस्ताव वाले लिफाफे में रखा जाएगा। बयाना राशि के बिना बोली को गैर-उत्तरदायी, अपूर्ण मान कर अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

इस संबंध में कंपनी द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय अंतिम निर्णायक एवं बोलीकर्ता के लिए बाध्य होगा।

सफल बोलीकर्ता को संविदा प्रदान किए जाने के बाद जितना जल्दी संभव होगा बयाने की राशि की वापसी असफल बोलीकर्ताओं को शीघ्र ही कर दी जाएगी।

चुने गए बोलीकर्ता को ईएमडी की वापसी संविदा पूरी होने के 1 वर्ष बाद या संविदा समाप्त होने पर जो भी पहले हो, कर दिया जाएगा। चुने गए परामर्शदाता को एक वचनबद्धता देनी होगी कि नियोजन के कार्यान्वयन के दौरान उनसे परिशिष्ट एफ के रूप में मांगी गई सूचना/दस्तावेजों की गोपनीयता को वह बनाए रखेगा।

यदि किसी कारण से ईएमडी जब्त कर ली जाती है तो संबद्ध बोलीकर्ता को कंपनी द्वारा अगले तीन वर्षों में मांगे जाने वाले आरएफपी में भाग लेने से मना कर दिया जाएगा।

11. कार्यक्षेत्र

इसके अतिरिक्त, कंपनी को सेवाओं की आपूर्ति एवं प्राप्ति पर जीएसटी की देयता का निर्वहन भी करना है। जीएसटी क्षेत्र के निर्बाध परिचालन एवं कार्यान्वयन हेतु कंपनी ने परामर्शी एवं व्यावसायिकों की सलाहपूर्ण सेवाएं प्राप्त करने का निर्णय लिया है। यह जीएसटी, कार्यान्वयन भारत वर्ष के सभी कार्यालयों एवं प्रधान कार्यालय के सभी विभागों के लिए है।

निर्देश के नियम / जानने योग्य निम्नानुसार हैं:

1) फेस 1 – माल एवं सेवा कर के कार्यान्वयन का क्षेत्र

- प्रस्तावित विनियम जीएसटी (प्रारूप मॉडल कानून तथा उपलब्ध कारोकारी प्रक्रिया रिपोर्टों पर आधारित) द्वारा प्रभावित होने वाली सभी कारोबारी प्रक्रियाओं/कार्यों की पहचान करना ताकि दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस को जीएसटी के महत्व से अवगत कराना।
- दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा आयोजित सभी कारोबारी प्रक्रियाओं पर जीएसटी के प्रभाव का विश्लेषण।
- शाखा कार्यालय, मंडल कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय के विभागों के कार्यों का अध्ययन करना तथा यदि आवश्यक हो तो कार्यालयों का दौरा करना।
- लंबी अवधि की नीति के विकास में मदद करना तथा जीएसटी के कार्यान्वयन के प्रभाव के बारे में विश्लेषण करना।
- जीएसटी के सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु कंपनी के वर्तमान हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर की अनुकूलता एवं संग्रहता का अध्ययन एवं निर्धारण तथा यदि आवश्यक हो तो आवश्यक परिवर्तनों की सिफारिश करना तथा उन्हें अनंतिम रूप देना।
- कंपनी के जीएसटी के कार्यान्वयन में अग्रसर होने की सिफारिश करना, प्रचालन मुद्दों, संसाधनो की उपेक्षाओं पर विशेष रूप से फोकस करना तथा परियोजना प्रबंधन फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना।
- चुनौतियों को देखते हुए कोर टीम को प्रशिक्षित करना।

- कंपनी द्वारा तैयार रखी जाने वाली जानकारी, तथ्यों, रिपोर्टों एवं संबद्ध दस्तावेजों की सूची बनाते हुए विस्तृत प्रश्नावली तैयार करना।
- फेस-1 के अंत में कंपनी की संतुष्टि हेतु समेकित परियोजना रिपोर्ट जमा करना।

2) फेस 2 - कार्यान्वयन एवं व्यवहार सहयोग

- यह सुनिश्चित करना कि वर्तमान अप्रत्यक्ष कर क्षेत्र से नए जीएसटी क्षेत्र में व्यवहार सुचारू रूप से चल रहा है।
- कंपनी की लेखा संबंधी पॉलिसियों एवं प्रक्रियाओं का जीएसटी के संबंध में विभिन्नताओं का विस्तृत तकनीकी मूल्यांकन निष्पादित करना तथा हमारे लेखा फ्रेमवर्क में जीएसटी के निर्धारण में मदद करना।
- जीएसटी को शामिल करने हेतु, कंपनी की वर्तमान पॉलिसियों, प्रक्रियाओं, मेन्युअलों तथा रिपोर्टिंग पैकेज का अवलोकन एवं संशोधित करना।
- जीएसटी के प्रावधान के संबंध मं कंपनी के प्रत्येक संदेह का स्पष्टीकरण।
- प्रणाली में परिवर्तन मूल्यांकित करना – परिवर्तित की जाने वाली प्रक्रियाओं का निर्धारण – जीएसटी के कार्यान्वयन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में संशोधित करने का प्रावधान।
- वास्तविक रूप से परिवर्तन से पूर्व संपूर्ण रिपोर्टिंग प्रक्रिया तथा लेखा प्रणाली की निष्क्रिय गतिविधियों में कंपनी को सहयोग करना।
- फेस 2 के संपूर्ण प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण।

3) फेस 3 - कार्यान्वयन के बाद की कार्यवाही

- कार्यान्वयन के प्रभाव का मूल्यांकन।
- नई मदों संबंधी मार्गदर्शन करना तथा संशोधनों को लागू करना तथा प्रणाली की विशिष्टताओं, यदि कोई हो तो,उनके बारे में सुझाव देना।
- जीएसटी विनियमों के अंतर्गत यथोचित रूप से अनुपालन को सुनिश्चित करना, मासिक/वार्षिक रिटर्न फाईल करना।
- यह सुनिश्चित करना कि जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद, प्रत्येक कारोबारी मॉडल, प्रक्रिया तथा लेखा/सूचना प्रोद्योगिकी प्रणालियों में जीएसटी का पूर्ण रूप से अनुपालन हो रहा है।

नोट: उपरोक्त सूची में सब कुछ सम्मिलित किया गया है लेकिन यह विस्तृत नहीं है अर्थात् निर्देश के नियमों में जीएसटी अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत् कार्यान्वयन एवं अनुपालन हेतु अपेक्षित गतिविधियों के लिए व्यावसायिक मदद प्रदान करना भी शामिल होगा।

12. सामान्य शर्तें

प्रस्ताव तैयार करते समय बोलीकर्ता की इस आरपीएफ को बनाते समय दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए। आवश्यक/अपेक्षित जानकारी में कमी पाए जाने पर प्रस्ताव अस्वीकृत किया जा सकता है।

दो स्थितियों वाली बोली प्रक्रिया:

वर्तमान आरएफपी का जवाब बोलीकर्ता दो भागों में अलग-अलग देगा – 'तकनीकी बोली' तथा 'व्यवसायिक बोली'।

तकनीकी बोली में पात्रता मापदण्डों के अनुसार आवश्यक विवरण तथा बोली से संबद्ध अन्य दस्तावेजों के साथ-साथ दस्तावेजी साक्ष्य रहेंगे, जबकि व्यवसायिक बोली में मूल्य संबंधी जानकारी रहेगी। पहली स्थिति में, बोलीकर्ताओं की उपस्थिति में केवल तकनीकी बोलियां खोली जाएंगी तथा कंपनी द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा। कंपनी अपनी मर्जी के अनुसार बोलीकर्ताओं को कंपनी की चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए आमंत्रित कर सकती है। कंपनी द्वारा निर्धारित तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले बोलीकर्ताओं को ही अपनी वाणिज्यिक बोली खोलने के लिए कहा जाएगा।

तकनीकी बोली में अपनाई जाने वाली मूल्यांकन प्रक्रिया केवल ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के विवेकाधिकार के अनुसार ही लागू की जाएगी तथा बोलीकर्ता को कोई भी मापदण्ड या मूल्यांकन रिपोर्ट या कोई भी तर्क देने के लिए कंपनी उत्तरदायी नहीं है। सामान्य शर्तों में शर्त नं.13 में दिए गए पात्रता मापदण्ड के अनुसार जो बोलीकर्ता तकनीकी बोली के योग्य माना जाएगा। उसे ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ईमेल द्वारा सूचित कर देगी।

कंपनी को पूर्ण अधिकार प्राप्त है कि बिना कोई कारण बताए अपने स्वयं का निर्णय लेते हुए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार या मना कर सकती है।

बोली तथा आरएफपी प्रक्रिया दस्तावेजों की लागत वहन करना पूर्णत: बोलीकर्ता की जिम्मेवारी है। प्रक्रिया के आयोजन या परिणाम से इसका कोई संबंध नहीं है।

गैर-अंतरणीय बोली

यह बोली दस्तासेज अंतरणीय नहीं है। केवल बोलीकर्ता, जिसने यह बोली फार्म खरीदा है वही काम, यदि आबंटित किया जाता है तो, को करने का पात्र है। किसी भी प्रकार की आऊट सोर्सिंग नहीं की जाएगी।
बोलीकर्ता को इस आशय की एक वचनबद्धता देनी होगी कि उसने आरएफपी की मूल प्रति में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया है तथा उपरोक्त का उल्लंघन किए जाने पर उसकी बोली को अस्वीकृत किया जा सकता है।

बोली का फार्मेट तथा हस्ताक्षर

बोली का प्रत्येक पृष्ठ बोलीकर्ता के कानूनी नाम पर बताया जाएगा तथा उस पर बोलीकर्ता या उसके एवज में उसके द्वारा प्राधिकृत किए गए व्यक्ति द्वारा विधिवत् रूप से हस्ताक्षर किए जाए तथा स्टांप लगाई जाएगी।

तकनीकी बोली :-

तकनीकी बोली में निम्न जानकारी होगी:

क) परिशिष्ट–ए के अनुसार कवरिंग पत्र ।

ख) इस दस्तावेज के परिशिष्ट-बी के अनुसार प्रस्ताव पत्र ।

ग) बोलीकर्ता की फर्म के प्रोफाईल के साथ पेश की गई अप्रत्यक्ष कर संबंधी सेवाओं के दस्तावेजी साक्ष्यों तथा परिशिष्ट-सी में वर्णित सभी संबद्ध संलग्नक।

घ) कार्य निष्पादन हेतु कार्य योजना एवं प्रणाली का विवरण।

ङ) कार्य के प्रत्येक फेस हेतु प्रमुख व्यावसायियों तथा उनके सहयोगी स्टॉफ की सूची।

च) अनुमानों सहित अन्य कोई ऐसी अतिरिक्त जानकारी जिसे परामर्शदाता टीम उचित समझती हो लेकिन उसे प्रस्ताव में कंही भी शामिल न किया गया हो तथा जिससे ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड़ को परामर्शदाता की सक्षमताओं का आकलन करने में मदद मिल सकती है।

छ) आरएफपी की लागत के रूप में **'दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड'** के पक्ष में, रू.2000/- (केवल दो हजार रूपए) का पे आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट, यदि बोलीकर्ता आरएफपी दस्तावेज हमारी वेबसाईट के माध्यम से डाउनलोड़ करता है।

ज) बयाना राशि जमा (ईएमडी) के रूप में 'दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड' के पक्ष में, रू.50,000/- (केवल पचास हजार रूपए) का डिमांड ड्राफ्ट

झ) फर्म के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित प्राधिकरण पत्र जिसमें फर्म की ओर से बोली पर हस्ताक्षर करने के लिए कार्य-निष्पादकों को प्राधिकृत किया हो।

नोट: तकनीकी बोली में किसी भी प्रकार की वित्तीय सूचना नहीं होगी। वाणिज्यिक बोली की सूचना वाली तकनीकी बोली को अवैद्य घोषित तर दिया जाएगा तथा उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

व्यवसायिक बोली

व्यावसायिक बोली कंपनी द्वारा दिए गए परिशिष्ट ई में ही जमा करवाई जाए तथा उसके साथ परिशिष्ट डी के अनुसार कवरिंग लैटर लगा हो तथा उसमें कोई विभिन्नता, प्रतिबंधित विवरणियां न हों, अन्यथा ऐसी बोलियों को रद्द करने का कंपनी को पूरा अधिकार है। मूल्य भारतीय मुद्रा में उद्धत हो तथा उसमें सब कुछ सम्मिलित हो। भुगतान के समय लागू सेवा कर के अलावा अन्य कोई भी अलग से फीस/प्रतिपूर्ति कंपनी द्वारा नहीं की जाएगी।

13. मूल्यांकन मापदण्ड

I. तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन निम्न प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। पात्र बोलीकर्ताओं को तकनीकी मूल्यांकन हेतु कंपनी को प्रस्तुति देनी होगी।

क्र.सं.	**मापदण्ड** का विवरण	अंक देने हेतु विषय	अधिकतम अंक
1	व्यक्तियों की संख्या तथा योग्यता - भागीदारों तथा योग्य एफसीए/विधि स्नातकों की संख्या प्रत्येक भागीदार/कर्मचारी की 31.03.2017 को फर्म के पास जुड़े जोना चाहिए।	(31.3.2017 का) न्यूनतम 06 भागीदार 05 अंक, अतिरिक्त एक भागीदार के लिए: 1, अधिकतम 10 न्यूनतम 10, व्यवसायिक योग्य स्टॉफ - 5 अंक प्रत्येक अतिरिक्त योग्य कर्मचारी हेतु: 5 अंक, अधिकतम 10	20
2	अप्रत्यक्ष कर परामर्शी में अनुभव के वर्षों की संख्या	न्यूनतम 10 वर्षों हेतु 20 अंक तथा प्रत्येक अतिरिक्त पूर्ण वर्ष हेतु 2 अंक: अधिकतम 10	30
3	पिछले तीन वर्षों में 1000 करोड़ रूपए या अधिक वाली औसतन	मूल मापदण्ड पूरा करने हेतु : (पिछले तीन वर्षों अर्थात् 01.04.2014 के बाद) परामर्शी के	25

	टर्नओवर वाली कम-से-कम तीन बड़े संस्थानों में कारपोरेट स्तर पर सेवा कर परामर्शी के रूप में अनुभव	रूप में निरंतर कार्य के प्रत्येक वर्ष हेतु प्रति वर्ष 5 अंक अधिकतम 10 अंक साधारण बीमा कंपनी में 3 वर्ष से अधिक का अनुभव : 5 अंक सा.क्षे.उ. की साधारण बीमा कंपनी में 3 वर्ष से अधिक का अनुभव : 5 अंक	
4	इस लेखा परियोजना में लगाए जाने वाले व्यवसायियों /विधि व्यवसायियों/ सू.प्रौ. व्यवसायियों की संख्या	• प्रत्येक लेखा/विधि व्यवसायी का 2 अंक लेकिन अधिकतम 6 अंक • प्रत्येक सू.प्रौ. व्यक्ति के लिए 2 अंक लेकिन अधिकतम 4 अंक	10
5	बोलीकर्ताओं द्वारा प्रस्तुति तथा आंतरिक समिति द्वारा मूल्यांकन	कार्य योजना, प्रणाली टीम संगठन तथा प्रस्तुतियों के आधार पर आंतरिक समिति द्वारा अंक दिए जाएं।	15
	कुल		100

उपरोक्त मापदण्ड के अनुसार तकनीकी मूल्यांकन हेतु 100 में से 70 अंक प्राप्त करने वाले बोलीकर्ताओं पर ही विचार किया जाएगा। 70 से कम तकनीकी अंक प्राप्त करने वाले व्यवसायिक बोली के आवेदकों के व्यवसायिक/वित्तीय मूल्यांकन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

II. व्यावसायिक बोलियों के मूल्यांकन हेतु मापदण्ड :

सफल तकनीकी बोली को एल1, एल2 तथा एल3 के नाम से ग्रेड दिया जाएगा जबकि एल1 वाला बोलीकर्ता वह व्यक्ति होगा जिसका प्रस्ताव सबसे कम मूल्य का होगा।

<u>बोलियों का स्पष्टीकरण</u>

बोलियों के मूल्यांकन के समय यदि कंपनी आवश्यक समझे तो बोलीकर्ता से बोली के संबंध में स्पष्टीकरण मांग सकती है। स्पष्टीकरण हेतु आवेदन तथा जवाब लिखित में/ईमेल द्वारा दिया जाएगा।

14. अवार्ड की अधिसूचना

संविदा, तकनीकी अनुपालन व्यवसायिक प्रतिफल तथा सभी नियमों एवं शर्तों के अनुपालन के तहत, आरएफपी की स्वीकृति की सूचना लिखित रूप में संविदा का प्रस्ताव/सेवा आदेश के द्वारा बोलीकर्ता को उसमें आरएफपी जवाब में दिए गए पते पर दे दी जाएगी।

बोलीकर्ता के पते में कोई परिवर्तन होने पर इसे निम्न पते पर भेज दिया जाएगा:

उप महाप्रबंधक - लेखा

दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,

लेखा विभाग, दूसरा तल,

ओरिएण्टल हाउस, ए-25/27, आसफ अली रोड,

नई दिल्ली - 110002

सफल बोलीकर्ता को जारी लिखित रूप में संविदा का प्रस्ताव/आवेदन को बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तावव जारी करने की तिथि से 7 दिनों के भीतर आवश्यकक रूप से लिखित में स्वीकार करना होगा।

संविदा/अनुबंध पर हस्ताक्षर

सफल बोलीकर्ता द्वारा ओरिएण्ट्ल इंश्यो रेंस कंपनी लिमिटेड के प्रस्ताव की स्वीकृति की तिथि से 7 दिनों के भीतर सफल बोलीकर्ता/परामर्शी को कंपनी द्वारा निर्धारित फार्मेट में एक अनुबंध/संविदा पर हस्ताक्षर करने होंगे। संविदा 30 सितंबर 2018 (30.09.2018) तक वैद्य होगी।

सफल बोलीकर्ता द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर अनुबंध/संविदा को निष्पादित करने में ही देरी, असफलता, भूल से बोली की वैद्यता समाप्त हो जाएगी। इस स्थिति में सफल बोलीकर्ता/परामर्शी को बिना कोई नोटिस दिए उसकी बयाना जमा राशि (ईएमडी) को कंपनी द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। संविदा/अनुबंध के निष्पादन की तिथि से 15 दिनों के भीतर परियोजना को आरंभ करने में सफल बोलीकर्ता/परामर्शी द्वारा देरी, भूल, असफलता के कारण संविदा/अनुबंध की संविदा को रद्द माना जाएगा। संविदा/अनुबंध के निष्पादन की तिथि से 15 दिनों के भीतर परियोजना को आरंभ करने में सफल बोलीकर्ता/परामर्शी द्वारा हुई देरी, भूल, असफलता के कारण संविदा को रद्द करने के अलावा, ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पूर्ण अधिकार है कि वह ईएमडी की राशि का समायोजन कंपनी को हुई हानि या क्षति के लिए कर सकती है।

सफल बोलीकर्ता द्वारा निष्पादन गारंटी

आदेश प्राप्त होने पर, सफल बोलीकर्ता को आडर्र के 25 प्रतिशत मूल्य के बराबर की निष्पादन बैंक गारंटी, स्वीकृति की तिथि से एक सप्ताहह के भीतर दिसंबर 2018 तक वैद्य जिसे आपसी सहमति द्वारा बढ़ाया जा सकता है देनी होगी। लेकिन यदि कभी यह पाया जाता है कि मामले को निपटाने में तथा निर्दिष्ट समय सीमा का ध्यान न रखते हुए जानबूझकर देरी की गई है तो कंपनी देय फीस का 2% जुर्माने के रूप में काट लेगी।

जुर्माना क्लॉज

ओइंकंलि के पास निम्नलिखित परिणामस्वरूप कंसल्टेंट के भुगतान शुल्क से कटौती का अधिकार सुरक्षित होगा

कारण	प्रथम घटना	द्वितीय घटना	तृतीय घटना
हमारी कंपनी को जब आवश्यकता हो तब हमारे कार्यालय में आने में विफल	सावधानी टिप्पणी	2 प्रतिशत	ओइंकंलि द्वारा प्राथमिकता के आधार पर निर्णित

रहना			
ओइंकंलि द्वारा किए गए संदर्भों में अत्याधिक देरी	सावधानी टिप्पणी	2 प्रतिशत	ओइंकंलि द्वारा प्राथमिकता के आधार पर निर्णित

कार्यपूर्ण करने की समयावधि:

संपूर्ण कार्य को निम्न समयावधि के भीतर पूरा करना होगा:

फेस-1 - जीएसटी के कार्यान्वयन का क्षेत्र	31.05.2017 तक पूरा किया जाए।
फेस-2 - कार्यान्वयन एवं स्वंय व्यवहार सहयोग तथा जांच	30.06.2017 तक पूरा किया जाए।
फेस-3 - कार्यान्वयन के पश्चात की कार्यवाही	कार्यान्वयन की तिथि से 1 वर्ष या 30.09.2018 जो भी बाद में हो।

अप्रत्याशित कारणों से पूर्णता में हुई देरी के लिए आपसी सहमति से विस्तार दे दिया जाएगा।

यदि परामर्शी आरएफपी में निर्धारित समयावधि में काम को पूरा करने में असमर्थ रहता है और समय के विस्तार की भी अनुमति नहीं दी गई हो तो इसे संविदा का उल्लंघन माना जाएगा। देरी होने की स्थिति में ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड आदेश को रद्द कर सकती है तथा बैंक गारंटी की मांग कर सकती है।

परामर्शी हर समय व्यावसायिक, वस्तुनिष्ठ एवं निष्पक्ष रूप से सलाह देता रहेगा तथा भविष्य में काम पर विचार किए बिना कंपनियों के हित को प्रमुख मानता रहेगा तथा अन्य नियोजनों एवं उनके अपने निगमित हितों से विवाद से बचेगा।

भुगतान संबंधी नियम

भुगतान के नियम निम्नानुसार होंगे : कोई भी अग्रिम भुगतान नहीं होगा :

फेस	कार्यवाही पूरी होने पर भुगतान	फेसवार भुगतान
फेस-1 जीएसटी का क्षेत्र	सभी	बोली की राशि का 20%
फेस-2 - कार्यान्वयन एवं स्वंय व्यवहार सहयोग तथा जांच	सभी	बोली की राशि का 40%

फेस-3 - कार्यान्वयन के पश्चात की कार्यवाही	परिवर्तन एवं प्रणाली रिपोर्ट	बोली की राशि का 40%

सभी भुगतानों में लागू कर शामिल नहीं है तथा समय-समय पर लागू टीडीएस की कटौती मान्य होगी।

ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पूर्ण अधिकार है कि:

क) आरएफपी के जवाब में प्राप्त किसी या सभी प्रस्तावों को बिना कोई कारण बताए अस्वीकृत कर सकती है।

ख) आरएफपी के जवाब में प्राप्त प्रस्तावों में स्थित भुगतान से कोई विभिन्नता पाए जाने पर, उन्हें अस्वीकृत कर सकती है।

ग) प्रस्ताव पत्र देने में किसी औपचारिकता, अनियमितता या बाधाओं में छूट या परिवर्तन कर सकती है।

घ) प्रस्ताव जमा करने के समय में विस्तार कर सकती है।

ङ) किसी भी संशोधन, जिसे कंपनी की वेबसाईट पर अधिसूचित कर दिया जाएगा, द्वारा आरएफपी दस्तावेज में संशोधन कर सकती है।

च) बैंक या अन्य संस्थानों/कंपनियों, जिससे बोलीकर्ता ने उसी कार्य हेतु जीएसटी सेवाओं के कार्यान्वयन को विस्तारित किया है, से अलग से सूचना मांग सकती है।

छ) यदि उचित समझें तो नियोजन के निष्पादन को पूरा करने में में व्यक्त समयावधि को संशोधित कर सकती है।

अन्य अनुदेश

क) परियोजना हेतु नामित मुख्य व्यक्ति अपना कार्य ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के परिसर से करेंगे। कार्य निष्पादन में शामिल कार्मिक को योग्यता मापदण्ड में व्यक्त आवश्यकताओं के अनुसार योग्य होना चाहिए तथा इसी प्रकार के कार्य में निहित होना चाहिए।

ख) स्टॉफ/मुख्य व्यक्तियों की गिनती में सीए/ICWA तथा विधि व्यवसायी शामिल होने चाहिए।

ग) कार्य हेतु चुने गए परामर्शी को इस संबंध में योग्य मानकों, विनियामक निर्देशों तथा दिशानिर्देशों का अनुपालन करना चाहिए।

घ) कार्य हेतु चुने गए परामर्शी को प्रस्तावित कार्य के निष्पादन संबंधी कंपनी से प्राप्त सभी डाटा को गोपनीय रखना होगा तथा इसे बिना कंपनी की लिखित अनुमति के किसी अन्य पक्ष को ऐसा डाटा/सूचना नहीं देनी होगी।

ङ) प्रस्ताव इस आरएफपी दस्तावेज में प्रदत्त फार्मेट में ही भेजने अनिवार्य हैं।

च) प्रस्ताव में किसी प्रकार की ओवरराईटिंग/परिवर्तन/करेक्शन नहीं होनी चाहिए।

छ) प्रस्तावों एवं संबद्ध परिशिष्ट पर परामर्शी द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि/यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। परामर्शी फर्म को बांधने तथा प्रस्तुत करने का निष्पादन के प्राधिकार की पुष्टि प्रस्ताव के साथ परामर्शी फर्म की सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी लिखित प्राधिकरण पत्र द्वारा होनी चाहिए।

ज) अन्य बोलियों तथा सहयोगी दस्तावेज केवल अंग्रेजी में जमा करवाए जाएं।

झ) प्राप्त आरएफपी को कोई भी जवाब/बोलियां ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड़ द्वारा वापस नहीं की जाएगी। बोलीकर्ता द्वारा ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड़ को दी गई सूचना गुप्त रखी जाएगी तथा बोलियों के मूल्यांकन के उद्देश्य हेतु इसका उपयोग किया जाएगा।

ञ) यहां एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि आरएफपी का बोली जवाब इसमें दिए गए सही फार्मेट में ही, आरएफपी दस्तावेज में बिना कोई परिवर्तन किए जमा करवाया जाए। भागीदार द्वारा आरएफपी दस्तावेज में परिवर्तन करने से संबद्ध बोली/आरएफपी के जवाब अवैद्य हो जाएगा तथा आरएफपी के गुणों को देखे बिना उसे ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा रद्द किया जा सकता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भागीदार द्वारा प्रस्तुत की गई बोली/आरएफपी दस्तावेज को जवाब तथा ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड़ के पास रखे आरएफपी दस्तावेज में कोई अंतर/परिवर्तन पाया जाता है तो ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पास रखे आरएफपी दस्तावेज को ही मान्य माना जाएगा और यह भागीदार के लिए बाध्य होगा।

ट) तकनीकी बोली का मूल्यांकन पूरा होने के बाद बोलीकर्ता/उनके प्रतिनिधियों, जो उपस्थित होना चाहते हैं, की उपस्थिति में, सही समय पर ही व्यवसायिक बोली को खोला जाएगा।

अनुपालन की पुष्टि

बोलीकर्ता को आरएफपी में स्थापित नियमों एवं शर्तों के अनुपालन की निरपेक्ष एवं स्प्ष्ट पुष्टि देनी होगी।

15. परामर्शी द्वारा वचनबद्धता

परामर्शदाता को प्रस्ताव के भाग के रूप मं निम्न वचनबद्धता देनी होगी:

"हम यह स्पष्ट करते हैं कि किसी भी कानूनी अदालत द्वारा अपराध नहीं लगाया गया या अदालत द्वारा दुराचार हेतु दोषी नहीं ठहराया गया या हमारे या हमारी किसी लघु कंपनी या हमारे सीईओ, निदेशक/प्रबंधक/भागीदार के विरूद्ध किसी दोष हेतु विनियामक प्राधिकरण द्वारा प्रतिकूल आदेश/अभियोग नहीं है और यदि ऐसा उत्पन्न होता है तो हम इसकी सूचना ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड़ को देंगे।"

गोपनीयता

इस दस्तावेज में ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की गोपनीय एवं मुख्य जानकारी निहित है तथा किसी भी प्राप्तकर्ता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को इसे प्रकट करने/प्रस्तुत करने/बनाने/उपलब्ध नहीं कराया जाए।

कार्य हेतु चुने गए परामर्शी को प्रस्तावित कार्य के निष्पादन संबंधी कंपनी से प्राप्त सभी डाटा को गोपनीय रखना होगा तथा इसे बिना ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की लिखित अनुमति के किसी अन्य पक्ष को ऐसा डाटा/सूचना नहीं देनी होगी। इसके अलावा, बोलीकर्ता को नियोजन के कारण ही ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड़ के लेखा संबद्ध सूचना या आंतरिक कारोबार के बारे में बताया जाएगा। तदानुसार, चुने गए बोलीकर्ता को निर्धारित फार्मेट में एक कानूनी प्रकट न करने योग्य अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होंगे।

16. क्षतिपूर्ति

क) बोलीकर्ता सहमति देता है कि वह ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा इसके अधिकारियों, निदेशकों, कर्मचारियों तथा एजेंटों को किसी तथा जीएसटी कार्यान्वयन से पूर्व या बाद में उत्पन्न सभी प्रकार की हानियों, देयताओं, दावों, बाध्यताओं, लागतों, खर्चों (बिना किसी विवाद के अटॉर्नी जनरल की यथोचित फीस सहित) से बचाएगा तथा हानि रहित रखेगा जो किसी प्रकार से तृतीय पक्ष/नियामकों के दावों से उत्पन्न या संबद्ध हो।

ख) बोलीकर्ता द्वारा, अनुबंध/संविदा में निर्दिष्ट नियमों, शर्तों, प्रस्तुतियों, वारंटियों को तोड़ने, ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के (आईपीआर) को उल्लंघन करने, लापरवाहीपूर्ण कार्य या भूल करने या बोलीकर्ता या उसके व्यवसायियों, प्रतिनिधियों, एजेंटों, सुरक्षा विशेषज्ञों, परामर्शदाताओं तथा निदेशकों द्वारा दुराचार।

ग) संविदा/अनुबंध के उद्देश्य हेतु, बोलीकर्ता से तात्पर्य होगा बोलीकर्ता, उसका कार्मिक कर्मचारी, परामर्शदाता और/या अन्य कोई प्राधिकृत व्यक्ति।

घ) क्षतिपूर्ति मांगने वाली पार्टी के द्वारा दुराचार या लापरवाही से उत्पन्न या संबद्ध दावे के प्रति बोलीकर्ता की कोई भी देयता नहीं होगी।

इस धारा में निर्धारित क्षतिपूर्ति की उत्तरदायित्व इसमें निष्पादन से संबद्ध उत्पन्न किसी क्षतिपूर्ति के दावे के कारण इस अनुबंध की समाप्ति तक बना रहेगा।

17. अनुबंध का समाप्त होना

नोटिस देकर रद्द किए जाने हेतु एक यथोचित धारा को अंतिम अनुबंध में शामिल किया जाएगा।

निम्न कारणों के कारण या बिना कोई कारण बताए कंपनी के विवेकाधिकार से अनुबंध को अस्वीवकृत किया जा सकता है:

क) आबंटित किए गए कार्य को लेने से मना करना।

ख) यदि फर्म बंद हो जाती है/प्रन:गठित होती है तथा फर्म का नाम/तरीके में परिवर्तन किया जाता है।

ग) अनुबंध में निहित नियमों एवं शर्तों का अनुपालन न किए जाने पर .

घ) यदि फर्म का निष्पाि दन संतोषजनक न पाया जाए (कंपनी के उचित प्राधिकारी द्वारा ऐसा पाए जाने पर)

ङ) कंपनी के विवेकाधिकार के अनुसार अन्यन कोई कारण।

आदेश को रद्द करने के अलावा, ओरिएण्ट ल इंश्योंरेंस कंपनी लिमिटेड के पास आरक्षित अधिकार है कि बोलीकर्ता द्वारा दी गई बयाना जमा राशि (ईएमडी) में से क्षतियों में सुधार करे और/या बोलीकर्ता द्वारा दी गई बैंक गारंटी पर प्रतिबंध लगा सकती है। ऐसी स्थिति में आदेश की तकनीकी रूप से योग्यं एल-2 बोलीकर्ता को दे दिया जाएगा, बशर्ते कि एल-2 मूल्यों े से तथा अन्य2 नियमों एवं शर्तों से मेल खाने के लिए तैयार हो।

18. विविध नियम

प्रचार

बोलीकर्ता द्वारा किए जाने वाला प्रचार, जिसमें ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का नाम प्रयुक्त हो रहा हो, ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा लिखित रूप में स्पष्ट अनुमति से किया जाएगा।

अप्रत्याशित घटना

यदि किसी अप्रत्याशित घटना के कारण निष्पादन में देरी या संविदा के अंतर्गत अपनी अनिवार्यताओ को निष्पादित करने में असफलता हुई हो तो निष्पादन प्रतिभूति के जब्त होने, नकदी क्षति या गलती के कारण रद्द किए जाने पर बोलीकर्ता की कोई देयता नहीं होगी। इस धारा के उद्देश्य हेतु 'अप्रत्याशित घटना' से तातपर्य है- बोलीकर्ता के नियंत्रण से परे कोई घटना तथा जिसमें बोलीकर्ता की कोई गलती या लापरवाही शामिल न हो और दिखाई न दे रही हो। ऐसी घटनाएं – ईश्वार का कोई कृत्य या जन शत्रुता के कृत्य, भारत सरकार के अपनी प्रभुता संपन्न क्षमता के अंतर्गत किया गया कृत्य, युद्ध के कृत्य शामिल है लेकिन ये केवल इतने ही सीमित नहीं है।

यदि अप्रत्याशित घटना घटित होती है तो बोलीकर्ता 12 कैलेंडर दिनों के भीतर लिखित रूप में ऐसी स्थितियों तथा उनके कारणों की उचित रूप से सूचना ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को देगा। जब तक ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा कोई निर्देश न दिए जाएं, बोलीकर्ता अपने संविदागत कार्यों को जहां तक संभव होगा यथोचित रूप से निष्पादित करता रहेगा तथा अप्रत्याशित घटना द्वारा सुरक्षित न किए गए निष्पादन के अन्य वैकल्पिक तरीकों की मांग करेगा।

विवादों का समाधान

ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा बोलीकर्ता प्रयास करेंगे कि संविदा के संबंध में उत्पन्न किसी मतभेद या असहमति को प्रत्यक्ष एवं अनौपचारिक बातचीत से सौहाद्रपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सके। यदि अनौपचारिक बातचीत के आरंभ होने से 30 दिनों के बाद भी ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा बोलीकर्ता संविदागत मतभेद को सौहार्दपूर्ण ढंग से नहीं निपटा पाते तो कोई भी पक्ष मामले को औपचारिक मध्यस्थता हेतु उल्लिखित करने की मांग कर सकती है।

संविदा के संबंध में या उसके अंतर्गत या उससे उत्पन्न सभी मतभेदों या विवादों या प्रश्नों को दो मध्यस्थों को भेजा जाएगा, एक मध्यस्थ ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा नामांकित किया जाएगा तथा दूसरा मध्यस्थ का नामांकन बोलीकर्ता द्वारा किया जाएगा। कथित मध्यस्थों द्वारा सहमत न होने की स्थिति में इस संदर्भ में कार्यवाही करने से पूर्व मामले को मध्यस्थों द्वारा नियुक्त एक अंपायर के पास भेजा जाएगा। मध्यस्थों का निर्णय तथा उनमें असहमति होने पर उनके द्वारा नियुक्त अंपायर के निर्णय को अंतिम तथा पक्षों के लिए बाध्य माना जाएगा। मध्यस्थ एवं समाशोधन अधिनियम 1996 यथा संशोधित 2015 के अधिनियम सभी मध्यस्थता कार्यवाहियों पर लागू होंगे तथा मध्यस्थ का न्यायालय एवं स्थान नई दिल्ली होगी।

सत्यनिष्ठा समझौता

बोलीकर्ताओं के लिए आवश्यक है कि बोली प्रस्तुत करते समय आवश्यक गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर, परिशिष्ट 1 में निर्दिष्ट 'सत्यनिष्ठा समझौता' निष्पादित करें।

शासकीय भाषा

संविदा अंग्रेजी में लिखी जाएगी। पक्षों के बीच में विनिर्धारित किए जाने वाले सभी पत्र व्यवहार तथा संविदा संबंधी अन्य दस्तावेज अंग्रेजी में लिखे जाएंगे।

शासकीय कानून/क्षेत्राधिकार

अनुबंध/संविदा भारतीय विधि के अनुसार निर्मित एवं शासित होगा तथा नई दिल्ली के न्यायालय के विशेष क्षेत्राधिकार के तहत होगा।

महाप्रबंधक – लेखा

प्रधान कार्यालय – ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड़

परामर्शदाता के पत्र-शीर्ष पर कंपनी को पत्र)

परिशिष्टप ए

(तकनीकी प्रस्तापव पत्र का आवरण पत्र)

दिनांक-

सेवा में

महाप्रबंधक एवं निदेशक

दि ओरिएण्ट ल इंश्योकरेंस कंपनी लिमिटेड़,

प्रधान कार्यालय, ओरिएण्टल हाऊस,

ए-25/7, आसफ अली रोड़,

नई दिल्ली – 110002

महोदय,

विषय- माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने हेतु आरएफपी अधिनियम तथा उसके अन्तेर्गत निर्मित नियमों के अनुसार है।

उपरोक्त आरएफपी के संदर्भ में, आरएफपी के आरंभिक भाग में अनुदेशों, नियमों एवं शर्तों को समझने तथा जांचने के बाद हम एतद्द्वारा, आपके उपरोक्त, उल्लिखित आरएफपी में वर्णित कि अनुसार जीएसटी के कार्यान्वयन हेतु अपनी सेवाएं प्रदान करने का अपना प्रस्ताव संलग्न कर रहे हैं। हम एतद्द्वारा अपनी तकनीकी प्रस्ताव सीलबद्ध लिफाफे में भेज रहे हैं। प्रस्ताव पर90 दिनों तक बाह्य रहेगा ताकि यह संविदा बातचीत से उत्पन्न सभी संशोधन के तहत होगा।

भवदीय,

नाम

पदनाम

संविदा सं.

फर्म/कंपनी की सील

संलग्न क : सीलबंद लिफाफे में तकनीकी प्रस्ताव

परिशिष्ट बी

प्रस्ताव फार्म

(तकनीकी प्रस्ताव वाले लिफाफे में शामिल किया जाए)

तिथि

महोदय,

प्रस्ताव हेतु आवेदन

"आरएफपी - माल एवं सेवा कर अधिनियम (जीएसटी) के कार्यान्व यन हेतु परामर्शदाता की नियुक्ति।"
संदर्भ संख्या आरएफपी
आरएफपी दस्तावेजों की जांच करने के बाद, हम अधोहस्ताहक्षरी कथित आरएफपी दस्तावेजों में व्यक्त अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए कंपनी में जीएसटी के कार्यान्वंयन हेतू परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिये अपनी सेवाऐं प्रदान करने का प्रस्ताव रखते हैं।

यदि हमारी बोली/प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो हम आरएफपी दस्तावेज में निर्दिष्ट समय तथा कार्य क्षेत्र तथ उसमें व्य क्त/ भुगतान संबंधी नियमों के अनुशार काम करने के लिये वचनबद्ध हैं।

हम पुष्टि करते हैं कि हमारी बोली/प्रस्तानव में हमारे द्वारा दी गई जानकारी सही एवं सत्ये है। हम बिल/प्रस्ता व का अनुपालन करने के लिये सहमत हैं।

हम एतदद्वार पावती देते हैं तथा बिना किसी शर्त के यह स्वीकार करते हैं कि परामर्शदाताओं के चयन एवं शार्टलिस्ट करने हेतू जो भी मापदण्ड ओआईसीएल उचित समझे, को लागू करने का पूर्ण अधिकार है।

हम घोषित करते हैं कि हमने आरएफपी दस्तावेजों में कोई भी परिर्वतन नहीं किया है तथा हम भलीभांति जानते हैं कि किसी भी परिवर्तन की स्थिति में ओआईसीएल.के पास रखे आरएफपी को ही सही एवं बाध्य माना जायेगा तथा हमारे द्वारा प्रस्तुत बोली/प्रस्ताव को ओआईसीएल द्वारा अस्वीएकार किया जा सकता है यदि आरएफपी दस्तारवेज में कोई परिवर्तन किया जाएगा।

हम प्रमाणित करते हैं कि
हम वचनबद्ध हैं कि प्रतिस्पर्धा के दौरान, उपरोक्त संविदा के निष्पादन हेतु यदि हमारे लिये कोई निर्णय लिया जाता है तो हम भारत में लागू धोखा एंव भ्रष्टाचार के विरुद्ध कानूनों भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के नियमों का कडाई से पालन करेंगे।

हम समझते हैं कि आप कोई भी प्राप्त , सबसे कम या अन्य कोई प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाध्य नहीं हैं।

दिनांक.....2017 का.....दिन

हस्ताक्षर

(की क्षमता मैं)

के एवज में तथा हेतू हस्ताक्षर

करने के लिए विधिवत रुप से प्राधिकृत

परिशिष्ट सी

तकनीकी बोली

प्रस्ताव के लिए अनुरोध

" जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए सलाहकार की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव के लिए अनुरोध "

विवरण	ब्यौरों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए	प्रस्तुत संलग्नकों का विवरण
फर्म कंपनी का नाम /		
पंजीकृत कार्यालय का पता		
संस्थापक का देश		
फर्म के निगमन की तारीख निगमन संख्या		
टेलीफोन/मोबाइल और फैक्स नंबर		
ईमेल पता		
पार्टनर के नाम		
सी.ए./ICWA कर्मचारियों की संख्या		

विधि स्नातक कर्मचारियों की संख्या		
उन कर्मचारियों की संख्या जिन्होंने डीआईसीए/सीआईएसए किया है		
नोडल व्यक्ति का नाम तथा संपर्क विवरण और ईमेल आईडी-		
कंपनी की प्रतिबद्धता बनाने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम व पदनाम नाम पदनाम संपर्क नंबर फैक्स नंबर मोबाईल नं . ईमेल आईडी-		
भारत में कार्यालय की मौजूदगी तथा अवस्थिति		
संदर्भित क्षेत्र में एक सलाहकार के रूप में कार्यान्वयन करते हुए फर्म का वैश्विक तथा स्थानीय अनुभव (या संसाधन जिनसे वह जुड़ा हुआ है) प्रासंगिक दस्तावेज / प्रमाणपत्र संलग्न होने चाहिए।		
भारत में फर्म द्वारा कॉरपोरेट्स के लिए जीएसटी/ अप्रत्यक्ष कर सेवाओं के कार्यान्वयन का विवरण भारत / विदेश में कंपनियों के लिए प्रदान किया गया है		

फर्म द्वारा भारत में बैंकों को जीएसटी / अप्रत्यक्ष कर सेवाओं के कार्यान्वयन के विवरण		क्रेडेंशियल्स का विवरण, इस संगठन का समर्थन करने वाले संबंधित संगठनों के पत्र के साथ। प्रत्येक असाइनमेंट के लिए कार्य का क्षेत्र बताएं
फर्म द्वारा भारत में बीमा कंपनियों को प्रदान की जाने वाली जीएसटी / अप्रत्यक्ष कर सेवाओं के कार्यान्वयन का विवरण		- क्रेडेंशियल्स का विवरण, इस संगठन का समर्थन करने वाले संबंधित संगठनों के पत्र के साथ। प्रत्येक असाइनमेंट के लिए कार्य का क्षेत्र बताएं.
प्रस्तावित परामर्श सेवाओं के लिए नामित किए जाने वाले व्यक्ति तथा उनका विवरण लीडर को शामिल करते हुए उन प्रस्तावित व्यक्तियो की नाम सहित संख्या जिन्हें सौंपे गए कार्य के चरणबद्ध निष्पादन हेतु समिम्लित किया गया है। टीम लीड़र जिसको एक बार नियमित रूप से ओ.आई.सी.एल के लिए नियत किया जाए उसे असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर तथा ओ.आई.सी.एल की सहमति के बिना बदला नहीं जाना चाहिए		निश्चित टीम के व्यक्तियों का संक्षिप्त विवरण संलग्न प्रारूप में दें - इस दस्तावेज के सीवी प्रारूप में
परामर्शदाता के पिछले प्रमाण पत्र		
साधारण बीमा कंपनियां बैंकों में / किए गए केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षा का विवरण		
ग्राहक का नाम, स्थान तथा उनकी शाखाओं की सहित समान तरह के पूर्ण/निष्पादन के तहत कार्यों का विवरण परियोजना, सेवाओं के प्रकार की प्रकृति वितरित/प्रदान की जा रही सेवाओं का क्षेत्र, परियोजना के मूल्य/लागत		

और परियोजना की अवधि। ग्राहक से अनुबंध का विवरण तथा ग्राहक की आरे से साक्ष्य- पत्र		
31.03.2016 को कुल मूल्य		
पिछले तीन वर्षों का टर्न ओवर 2013-14 2014-15 2015-16		
सौंपे गए कार्य को कार्यान्वित करने के लिए जैसे प्रशासनिक सहायता, कार्यालय जगह, उपकरण आदि के लिए ओआईसीएल से अपेक्षाएं।		
बोलीदाता के बैंकर का नाम, पता और खाता संख्या		
डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान की गई बोली राशि का विवरण डीडी नंबर दिनांक बैंक शाखा पर आहरित राशि -- रू.....		
पैन नंबर वैट नंबर सेल टैक्स नंबर सर्विस टैक्स नंबर		
कम-से-कम 5 बड़े ग्राहकों के संदर्भ	नाम पता पदनाम संपर्क फोन नंबर ईमेल आईडी-	

यह दिनांक.....दिन 2017.....

(हस्ताक्षर) (की क्षमता में)

इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए उचित रूप से प्राधिकृत तथा उसकी ओर अधिकृत

परिशिष्ट –डी
(कंपनी के पत्र-शीर्ष पर जमा करवाया जाए)
वाणिज्यिक प्रस्ताव
(सील-बद्ध लिफाफे में जमा करवायें)

दिनांक .....

सेवा में,
महाप्रबंधक एवं निदेशक,
दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड़,
प्रधान कार्यालय, ओरिएण्टल हाऊस,
ए-25/27, आसफ अली रोड़,
नई दिल्ली – 110002

प्रिय महोदय/महोदया,
हम अधोहस्ताक्षरी आपके आरएफपी दिनांक..... के अनुसार जीएसटी अधिनियम तथा नियमों के अनुसार परामर्श के कार्यान्वयन के लिए हमारी सेवाओं को प्रदान कर रहे हैं। हमारा संलग्न वाणिज्यिक प्रस्ताव राशि रू.....(राशि शब्दों में) यह राशि सभी करों के अतिरिक्त है।

हमारे वाणिज्यिक प्रस्ताव हमारे लिए बाध्यकारी होंगे और प्रस्तावित प्रस्ताव के नब्बे (90) दिनों की वैधता अवधि की समाप्ति तक, अनुबंध वार्ता के परिणामस्वरूप भी संशोधन के अधीन है।

भवदीय

(नाम व पदनाम, फर्म की मुहर)
संलग्न :- वाणिज्यिक प्रस्ताव सीलबद्ध लिफाफे में।

परिशिष्ट -इ

वाणिज्यिक बोली

(वाणिज्यिक प्रस्ताव वाले लिफाफे में शामिल किया जाए)

प्रिय महोदय,

प्रस्ताव हेतु आवेदन

आरपीएफ- माल एवं सेवा कर अधिनियम (जीएसटी)व नियम के कार्यान्वयन हेतू परामर्शदाता की नियुक्ति ।
संदर्भ संख्या..... ..... दिनांक

उपर्युक्त आरएफपी दस्तावेज के संदर्भ में हम ओआईसीएल द्वारा प्रस्तावित कार्य के लिए वाणिज्यिक बोली (शुल्क) के साथ सलाहकार के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

राशि	परामर्श शुल्क (रू.)	आऊट ऑफ पॉकेट व्यय (रू.)	कुल (रू.)
अंकों में			
शब्दों में			

नोट: भुगतान के समय लागू सेवा कर / जीएसटी की भी प्रतिपूर्ति की जाएगी।

नियम एवं शर्तें -

1) उपरोक्त उद्धृत शुल्क सभी चरणों के लिए है जैसा आरएफपी निर्धारित किया गया है।
2) हम आरएफपी दस्तावेज़ में दिए गए सभी वितरण योग्य कार्य करने का वचन लेते हैं।
3) ओआईसीएल भुगतान जारी करते समय कर (टीडीएस) कटौती करेगा, जो कि कानून के अनुसार लागू होगा।

यह दिनांक.....दिन.....2017

(हस्ताक्षर) (की क्षमता में)

इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए उचित रूप से प्राधिकृत तथा उसकी ओर अधिकृत

परिशिष्ट – एफ

बोलीदाता से कंपनी के पत्र-शीर्ष पर ब्यौरा

हम (तथा हमारे कार्मिक और एजेंट)जब तक कि ओ.ई.कं.लि. लिखित रूप से अनुमति नहीं देता आरएफपी के, प्रस्ताव, तथा/या अनुबंध,या किसी विनिर्देश, योजना, ड्राईंग, पैंटर्न,नमूना अथवा जानकारी अथवा किसी भाग या पूर्ण दस्तावेज, प्रस्ताव और / या अनुबंध के प्रदर्शन में निविदाकर्ता द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ इसके संबंध में कोई भी प्रकटीकरण नहीं करेगा ।

कंसोर्टियम प्रस्तावों के मामले में, कंसोर्टियम के सभी सदस्य उपरोक्त को सुनिश्चित करेंगे। ऐसे किसी नियोजित व्यक्ति को प्रकटीकरण आत्मविश्वास से बनाया जाएगा और इस तरह के कार्यों के निष्पादन के प्रयोजनों के लिए जहां तक जरूरी हो सकता है, हमारे नियोजित कर्मचारी सख्त गोपनीयता बनाए रखेंगे।

हम (और हमारे कर्मचारियों और एजेंटों) को कंपनी से पूर्व लिखित सहमति के बिना कंपनी द्वारा दिए गए किसी भी दस्तावेज़ या सूचना का उपयोग नहीं करेंगे, सिवाय अनुबंध प्राप्त करने के प्रयोजनों के।

उल्लंघन के मामले में, कंपनी वैधानिक योग्यता अनुसार कानूनी कार्रवाई करेगी

अधिकृत व्यक्ति के हस्तताक्षर एव मुहर

.

दिनांक :-

स्थान :-

परिशिष्ट – जी

फर्म के पेय-रोल पर सहयोगियों/कर्मचारियों का प्रोफाईल

क्र.सं	**विवरण**
1.	व्यक्ति का नाम
2.	कार्यालय का पता
3.	ई-मेल आई.डी
4.	कार्यालय का दूरभाषा नं./मोबाईल
5.	फर्म में कब से कार्य कर रहे हैं
6.	व्यावसायिक योग्यता (सदस्य संख्या, यदि लागू हो)
7.	वर्तमान पद
8.	अनुभव

क्रम सं.	जीएसटी कार्य कार्यान्वयन की प्रकृति	जीएसटी कार्य के कार्यान्वयन का संक्षिप्प्त विवरण तथा वह संस्थान जहां पर इर्स कार्यान्वित होना है।	समयावधि से..... तक
1			
2			
3			
4			
5			

सीए सदस्यता /डीआईएसए/सीआईएसए/सीआईएसए/ विधि स्नातक की स्वंय अभिप्रमाणित प्रति संलग्न । प्रारूप न्यूनतम आवश्यकताओं का है और इसे अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना है।

उत्तरदाता अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं, यदि कोई हो ।

यह दिनांक..... दिन.....2017

(हस्ताक्षर)   (की क्षमता में)

इस प्रस्ताअव पर हस्ता क्षर करने के लिए उचित रूप से प्राधिकृत तथा उसकी ओर अधिकृत

परिशिष्ट एच

(कंपनी के पत्र-शीर्ष में भरा जाए)

प्राधिकरण पत्र फार्मेट

तिथि;;;;;;;;;;;;;;;;

सेवा में,

महा प्रबन्ध क एंव निदेशक

दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड़,

प्रधान कार्यालय,

ओरिएण्टल हाऊस,

ए-25/27, आसफ अली रोड़, नई दिल्ली – 110002

विषय – बोली खोलते समय उपस्थित रहने हेतू प्राधिकरण पत्र

प्रिय महोदय/महोदया

यह जीएसटी के कार्यान्वलयन हेतू परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए आपके आरएफपी के संदर्भ में है। श्री/ श्रीमती /सुश्री/.......................................को उपरोक्त आरएफपी को खुलने वाली बोली में उपस्थित होने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

दिनांक .... को ....हमारे संगठन की ओर से

प्रतिनिधि का नमूना हस्ताक्षर

नमूना हस्तााक्षर को नीचे सत्याषपित किया जाता है।

प्राधिकृत करने वाले प्रधिकारी के हस्ताक्षर

सत्याापित करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्राधिकृत करने वाले प्राधिकारी का नाम

सत्यापित करने वाले प्राधिकारी का नाम

परिशिष्ट -1

(दि ओरिएंटल इंश्योमरेंस कंपनी लिमिटेड) साधारण बीमा कारोबार (राष्टीयकरण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत स्थापित एक निगमित इकाई जिसका प्रधान कार्यालय ए-25/27 आसफ अली रोड नई दिल्ली - 110002 में स्थित है जिसे बाद में **''द प्रिंसिपल''** कहा जाएगा, जो अभिव्यीक्ति जब जक अप्रासंगिक न हो या उसके तात्पर्य में एक पक्ष के समानुदेशयों या उत्तराधिकारी शामिल होंगे।

तथा

.....

(पार्टी का विवरण पते सहित) जिसे बाद में ''बोलीकर्ता/संविदाकर्ता) कहा जाएगा, जो अभिव्यक्ति, जब जक अप्रासंगिक न हो या उसके तात्पर्य में दूसरे पक्ष के समानुदेश्यों या उत्तराधिकारी शामिल होंगे के बीच ''सत्यनिष्ठ समझौता''

प्रस्तावना

कंपनी हेतू निर्धारित संगठनात्कौ प्रक्रियाओं के अंतर्गत निर्णय लेने का प्रायोजन है। कंपनी भूमि के सभी संबद्ध कानूनों का अनुपालन तथा संसाधनों के अधिक उपयोग के सिद्धांतों तथा अपने बोलीकर्ता/ओं/ठेकेदार(ओं)के साथ संबधों में पारदर्शिता एंव निष्पतक्षता को महत्व देती है।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतू, कंपनी निष्पक्ष बाह्र निरीक्षक (कों) की नियुक्ति करेगी जो निविदा आरएफपी प्रिक्रिया का निरीक्षण करेंगे तथा उपरोक्त सिद्धांतों के अनुपालन हेतू संविदा का निष्पादन करेंगे।

खंड-1 कंपनी की वचनबद्धताएं

1.1 भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने तथा निम्न सिद्धांतों का अवलोकन करने के लिये कंपनी वचनबद्ध है।

1.1.1 कंपनी का कोई भी कर्मचारी, व्यक्तिगत रुप से या परिवार के सदस्य के द्वारा, निविदा/आरएफपी के संबंध में नहीं होंगे तथा संविदा के निष्पादन में, कोई भी मांग, अपने लिये या तृतीय व्यक्ति के लिये कोई ऐसा लाभ लेने का वादा नहीं करेगा, जिसका वह कानूनन पात्र नहीं है।

1.1.2 कंपनी निविदा /आरएफपी प्रक्रिया के दौरान सभी बोलीकर्ता(ओं)के साथ समान व संबद्धपूर्वक व्यवहार करेंगी । कंपनी विशेषत: निविदा/आरएफपी प्रक्रिया से पहले या दौरान सभी बोलीकर्ता(ओं) को समान सूचना प्रदान करेंगी तथा किसी भी बोलीकर्ता(ओं) को गोपनीय/आंतरिक जानकारी नहीं देगी जिसके जरिये बोलीकर्ता(ओं) द्वारा निविदा/आरएफपी प्रक्रिया या संविदा निष्पादन से संबंधित फायदा उठा सके।

1.1.3 कंपनी प्रक्रिया से सभी जानकार पक्षपात युक्त व्यक्तियों को अपवर्जित करेगी।

1.2 यदि कंपनी को अपने किसी कर्मचारी के व्यवहार से संबंधित ऐसी कोई जानकारी मिलती है जो कि भारतीय दंडात्मक कोड़ 1860 व भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम1988 के अंतर्गत अथवा किसी अन्यत संवैधानिक दंडात्मक अधिनियम, दंडात्मक अपराध है अथवा इस संबंध में कोई भी प्रर्याप्त शंका है, कंपनी अपने सर्तकता कार्यालय को सूचित करेगी तथा उसके अतिरिक्त अनुशासनिक कार्रवाई करेगी।

खण्ड -2 बोलीकर्ता(ओं)/संविदाकर्ता(ओं) की वचनबद्धताएं

2.1 बोलीकर्ता(ओं)/संविदाकर्ता(ओं) भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए स्वयं से सहमत होगा। वह निविदा/आरएफपी प्रक्रिया में अपनी भागीदारी के दौरान व संविदा निष्पाादन के दौरान निम्नहलिखित नियमों को मानने के लिए स्व्यं से सहमत होगा।

2.1.1 बोलीकर्ता(ओं)/संविदाकर्ता(ओं) को प्रत्यक्षत: या किसी अन्यय व्यक्ति या फर्म द्वारा निविदा/आरएफपी प्रक्रिया (संविदा के निष्पादन) में शामिल कंपनी के किसी भी कर्मचारी या किसी भी तृतीय पक्ष को कोई भौतिक, अभौतिक या किन्हीं अन्य(लाभों को नहीं देने का प्रस्ताव वचन या नहीं देगा जिसे वह निविदा/आरएफपी प्रक्रिया या संविदा के निष्पादन के दौरान किसी भी प्रकार कानूनी रूप से पाने के हक़दार नहीं हैं।

बोलीकर्ता(ओं)/संविदाकर्ता(ओं) किसी भी अवैध या अप्रकट संविदा या समझौते में शामिल नहीं होंगे, चाहे वह औपचारिक है या अनौपचारिक है। यह विशेषत: कीमतों, प्रमाणीकरण, सहायक संविदाओं,बोलियों के प्रस्तुतीकरण या गैर प्रस्तुतीकरण या प्रति स्पर्धात्माकता को रोकने की कोई भी अन्य कार्रवाई या बोली प्रक्रिया में लोचकता लाने के लिए लागू होती है।

2.1.2 बोलीकर्ता(ओं)/संविदाकर्ता(ओं) द्वारा संबंधित आईपीसी/पीसी अधिनियम के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई दण्डात्मक अपराध नहीं करेंगे। इसके अलावा बोलीकर्ता(ओं)/संविदाकर्ता(ओं) द्वारा प्रतिस्पर्धा या व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से या योजनाओं, तकनीकी प्रस्तावों व व्यावसायिक ब्यौरे जिसमें समाहित या इलैक्ट्रीकली दी गई जानकारी से संबंधित व्यावसायिक संपर्क के भाग के रूप में कंपनी द्वारा दी गई कोई भी जानकारी या दस्तावेज किसी अन्य को देने के लिए अनुप्रयुक्त रूप से प्रयोग करता है।

2.1.3 बोलीकर्ता(ओं)/संविदाकर्ता(ओं) द्वारा अपनी बोली प्रस्तुत करते समय संविदा निर्णय के संबंध में एजेंटों , ब्रोकरों या किन्हीं अन्य मध्यस्थों को अर्पित करता है या करना चाहता तथा किसी भी भुगतानों को छिपाता है।

2.2 बोलीकर्ता(ओं)/संविदाकर्ता(ओं) द्वारा किसी भी तृतीय पक्ष को उक्त वर्णित किए गए अपराधों को करने या इन अपराधों का हिस्सा बनने के लिए नहीं उकसाया जाएगा।

खण्ड-3 भावी संविदाओं से अपवर्जन तथा निविदा/आरएफपी प्रक्रिया की अयोग्यता

यदि बोलीकर्ता(ओं)/संविदाकर्ता(ओं) द्वारा निर्णय से पूर्व या निष्पादन के दौरान उ 2 के उल्लंघन के द्वारा अतिक्रमण किया है या किसी भी ऐसे तरीके से कार्य किया है जैसे कि अपनी विश्वसनीयता या प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाना, कंपनी को बोलीकर्ता(ओं)/संविदाकर्ता(ओं) को निविदा/आरएफपी प्रक्रिया से अयोग्य करने का अधिकार है या कंपनी द्वारा तैयार किए गए 'पूर्तिकर्ताओं/संविदाकर्ताओं से संपर्क करने वाले व्यवसाय के निलम्बन हेतु दिशानिर्देश' के अनुसार कार्रवाई करने का अधिकार है।

खण्ड -4 क्षतियों की क्षतिपूर्ति खण्ड-3 के अनुसार निर्णय से पूर्व

यदि कंपनी ने बोलीकर्ता(ओं) को निविदा/आरएफपी निर्णय प्रक्रिया से पहले अयोग्य किया है तो कंपनी को बकाया राशि के समान प्रतिभागी को मांगने तथा वसूलने का अधिकार है।

4.2 यदि कंपनी ने खण्ड 3 के अनुसार संविदा को समाप्त कर दिया है या यदि कंपनी को खण्ड 3 के अनुसार संविदा को रद्द करने का अधिकार है, कंपनी को सुरक्षा जमा/निष्पादन बैंक गारण्टी के बराबर राशि या संविदा मूल्य् के 5% के बराबर संविदकर्ता नकदी क्षतियों से मांग करने तथा वसूलने का अधिकार होगा, इनमें से जो भी ज्यादा है।

खण्डं-5 पिछले अतिक्रमण

5.1 बोलीकर्ता घोषित करता है कि उसने भारत में किसी भी अन्य सावर्जनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ या भ्रष्टाचार निरोधी परिदृश्य के समरूप किसी भी देश में किसी अन्य कंपनी के साथ गत 3 वर्षों में कोई अतिक्रमण किया है जिससे निविदा/आरएफपी प्रक्रिया से उसका अपवर्जन स्पष्ट होगा।

5.2 यदि बोलीकर्ता इस विषय पर असत्य विवरण प्रस्तुत करता है, तो उसे पहले से दिए गए संविदा या निविदा/आरएफपी प्रक्रिया से अयोग्य किया जाएगा, इस कारण से रद्द भी किया जा सकता है।

खण्ड-6 सभी बोलीकर्ताओं/संविदाकर्ताओं/उप-संविदाकर्ताओं से समान व्यवहार।

6.1 बोलीकर्ता(ओं)/संविदाकर्ता(ओं) से इस सत्यनिष्ठा समझौते के संगत वचनबद्धता के लिए अपने उप-संविदाकर्ताओं से मांग करते हैं। यह वचनबद्धता केवल उन्हीं उप-संविदाकर्ताओं से ली जाएगी जिनकी संविदा मूल्र कंपनी के साथ बोलीकर्ताओं/संविदाकर्ताओं के संविदा मूल्या के 20% से अधिक है।

6.2 कंपनी सभी बोलीकर्ता(ओं)/संविदाकर्ता(ओं) के साथ समान नियमों सहित समझौते में प्रविष्ट होगी।

6.3 कंपनी उन सभी बीमाकर्ताओं को निविदा/आरएफपी प्रक्रिया से अयोग्य करेगी जो इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करते या इसके प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।

खण्ड-7 उल्लंघन करने वाले बोलीकर्ता(ओं)/संविदाकर्ता(ओं)/उप-संविदाकर्ताओं के विरूद्ध अपराधिक आरोप।

यदि कंपनी को बोलीकर्ता संविदाकर्ता या उप-संविदाकर्ता, या बोलीकर्ता के सहायक या प्रतिनिधि या कर्मचारी, संविदाकर्ता या उप-संविदाकर्ता के व्यवहार की जानकारी मिलती है जो भ्रष्टाचार करते हैं, या यदि कंपनी को इस संबंध में विशेष संशय है तो कंपनी सतर्कता कार्यालय को सूचित करेगी।

खण्ड-8 समझौते की अवधि

8.1 यह समझौता तभी आरंभ होगा जबकि दोनों पक्षकार कानूनी रूप से इस पर हस्ताक्षर करेंगे। संविदाकर्ता के लिए यह संबंधित संविदा के अंतर्गत अंतिम भुगतान के पश्चात 12 माह में समाप्त होगा तथा अन्य सभी बोलीकर्ताओं के लिए संविदा मिलने के पश्चात 6 माह में समाप्त होगा।

8.2 यदि इस समय के दौरान कोई भी दावा होता है/दर्ज होता है तो यह बाध्य होगा तथा उक्त स्पष्ट किए गए अनुसार समझौते के समाप्त होने के बावजूद वैध ही रहेगा, जब तक कि यह अध्ययक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ओ.आई.सी.एल. द्वारा निष्पागदित/निर्धारित नहीं किया जाता है।

खण्ड-10 अन्य प्रावधान

1.1 यह समझौता भारतीय कानून के तहत है तथा कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय अर्थात नई दिल्ली। क्षेत्राधिकार होगा।

1.2 समाप्ति सूचना के साथ-साथ सभी संशोधन व विकल्पों को लिखित में दिया जाएगा। पक्ष समझौतों को नहीं बनाया गया है।

1.3 यदि संविदाकर्ता साझेदार या सह-व्योवस्था है तो इस समझौते पर सभी साझेदारों या सह-व्यवस्था के सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए।

1.4 क्या इस समझौते के एक या कई अवैध प्रावधानों को निकाला जाएगा, इस समझौते के शेष वैध होंगे। इस स्थिति में पक्षकार अपने मूल मंतव्यों से समझौते में आयेंगे।

1.5 केवल वही बोलीकर्ता/संविदाकर्ता जो कंपनी के साथ इस समझौते में प्रविष्ट हुए है, बोली में भाग लेने के लिए सक्षम होंगे। अन्य शब्दों में, इस समझौते में प्रविष्ट होने के लिए प्रारम्भिक योग्यता होगी।

बोलीकर्ता/संविदाकर्ता की ओर से कंपनी की ओर से या के लिए

कार्यालय मुहर	कार्यालय मुहर
स्थान	स्थान
दिनांक	दिनांक
गवाह	गवाह
(नाम व पता)	(नाम व पता)